



315

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प सागर

दिनांक / 31/05/1959

मत्थू तनय रामलाल काढी  
निवासी ग्राम हनौता तह. पलेरा जिला टीकमगढ़ ..... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

डी. के. पारी (बृजकिशोर तनय महादेवप्रसाद  
उत्तर दि. 16/09/15 भिवासी ग्राम मुर्हावावा तह. पलेरा जिला टीकमगढ़ ..... अनावेदक

### निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक तह.  
पलेरा जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/06/15 से दुखित होकर  
जी. के. पारी (रु. 5 मिस्त्री आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष  
प्रस्तुत कर रहा है :—

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा भूमि खसरा  
क्र 440/3ख स्थित ग्राम मुर्हावावा के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ  
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत  
तरीके से कार्यवाही कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित  
होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष  
प्रस्तुत है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित  
परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित  
किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि  
निगरानीकर्ता सरहदी कृषक है तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है परंतु  
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को ना तो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया  
और ना ही सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना दी गयी। मौका स्थल पर कोई  
पंचनामा तैयार किए बिना मनमाने तौर पर अपना विधि विपरीत आदेश पारित

3

लाल

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3125—दो / 2015

जिला—टीकमगढ़

मल्थू काछी विरुद्ध बृजकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील पलेरा, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28-06-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p>(3)</p>	<p>08/03/2019</p> <p>(आर.के. जैन) सदृश्य</p>